फा.स.7(0005)/2013-लेखा और क्रय

भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

92, संसद भवन,
नई दिल्ली।

दिनांक 5 मई, 2014

सेवा में,

विषय : प्रिंटरों/फैक्स मशीनों/फोटोकॉपीयर्स इत्यादि में उपयोग के लिए फोटोस्टेट पेपर की खरीद - तत्संबंधी कोटेशन।

महोदय,

इस मंत्रालय को समय-समय पर संलग्न सूची के अनुसार कंप्यूटरों/फैक्स/फोटोस्टेट मशीनों में प्रयोग के लिए फोटोस्टेट पेपर इत्यादि की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित निबंधन और शर्तों पर इन मदों की पूर्ति करने के लिए प्रामाणिक/जाने-माने पूर्तिकारों के साथ शुरूआत में संविदा की तारीख से वर्ष 2014 की शेष अवधि के लिए संविदा करने का प्रस्ताव है:-

(i) बोलीदाता दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फोटोस्टेट पेपर्स की आपूर्ति करने वाली एक ऐसी भारतीय कंपनी/फर्म होनी चाहिए जिसका दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार्यालय/शाखा हो।

(ii) बोलीदाता एक प्राधिकृत डीलर होना चाहिए और यदि बोलीदाता मदों का निर्माता नहीं है तो उसे इस टेंडर के लिए निर्माता/प्राधिकृत डीलर से संविदा की पूरी अवधि तक वैध एक प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा (मूल प्रति संलग्न करनी पड़ेगी)।

(iii) बोलीदाता को भारत सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक उपक्रम/राज्य सरकार द्वारा काली सूची में नहीं डाला हुआ होना चाहिए। इस निमित्त बोलीदाता को एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा।

(iv) इस सूची में उल्लिखित मदें समय-समय पर इस मंत्रालय की आवश्यकता के अनुसार हैं। इच्छुक पूर्तिकार एक या अधिक मदों के लिए कोटेशन दे सकते हैं। उन पर विचार केवल उन मदों के लिए किया जाएगा जिनके लिए वे कोटेशन देंगे। प्रत्येक बोलीदाता को आगे उल्लिखित प्रमाणपत्रों की एक-एक प्रति प्रस्तुत करनी अपेक्षित है (i) कंपनी/फर्म/स्वामित्व इत्यादि की कानूनी स्थिति सूचित करते हुए वर्तमान मानकों के अनुसार पंजीकरण प्रमाणपत्र, (ii) सी.एस.टी./वी.ए.टी./टी.आई.एन. पंजीकरण प्रमाणपत्र, (iii) पिछले तीन वर्षों के दौरान भरी

गई आयकर विवरणियों की प्रतियां, (iv) पिछले तीन वर्षों के परीक्षित लेखा विवरण की प्रतियां। ऐसा न करने पर उनकी बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(v) बोलीदाता को भारत सरकार के विभागों/मंत्रालयों को लेखन सामग्री और अन्य मदों की थोक में आपूर्ति करने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए (पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त दो-दो खरीद आदेशों की प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए)।

(vi) बोलीदाता की कुल बिक्री पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान न्यूनतम रू.25.00 लाख प्रति वर्ष होनी चाहिए (वैध और प्रमाणित प्रमाण संलग्न किया जाए)।

(vii) टेंडरदाता संलग्न सूची के अनुसार ही अपनी प्रति मद/यूनिट की दरें बिना शर्त के भेज सकते हैं। यदि दरें किसी यूनिट/बॉक्स, जिसमें एक से अधिक वस्तु हैं, के लिए हैं तो उस यूनिट/बॉक्स की मदें अभ्युक्ति कॉलम में विशिष्ट रूप से सूचित की जाएं और यदि किसी यूनिट की कीमत वजन पर आधारित है तो यूनिट का वजन भी सूचित किया जाए। कटिंग/दुबारा लेखन, यदि कोई हो तो उस पर टेंडरदाता के प्रतिहस्ताक्षर होने चाहिए।

(viii) पूर्तिकार संसद भवन में स्थित इस मंत्रालय के स्टोर में अथवा इस मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में चुने गए किसी स्थान पर सामान को अपने जोखिम और लागत पर अच्छी अवस्था में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होगा।

(ix) मालिक/फर्म टेलीफोन के अतिरिक्त मोबाइल पर भी उपलब्ध होने चाहिए ताकि इस मंत्रालय द्वारा आपात मामलों में उन्हें फोन किया जा सके। अत: टेलीफोन नम्बर के साथ मोबाइल नम्बर भी दिए जाएं।

(x) वस्तुओं की मात्रा निश्चित नहीं है, क्योंकि खरीद एक साथ नहीं की जानी है। यह खरीद उपरोक्त अवधि में कभी भी की जा सकती है और एक बार में खरीदी जाने वाली वस्तु की मात्रा उसकी आवश्यकता पर निर्भर करेगी।

(ix) पूर्तिकार को सामान की आपूर्ति उन्हें आदेश मिलने की तारीख से पांच दिनों के भीतर करनी होगी। यदि कोई पूर्तिकार अंतिम तारीख तक आपूर्ति करने में असफल रहता है तब ऐसे पूर्तिकार को बिल राशि के पांच प्रतिशत के बराबर राशि के अर्थदंड का सामना करना होगा।

(xii) सूची में उल्लिखित सभी वस्तुएं प्रामाणिक, उच्च गुणवत्ता वाली और प्रसिद्ध कंपनी की होनी चाहिए। यदि मंत्रालय को पूर्ति की गई सामग्री अच्छे स्तर की नहीं पाई जाती है तो उसे लौटा दिया जाएगा और ऐसी पूर्ति के लिए संबंधित पूर्तिकार को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए मंत्रालय जिम्मेदार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, ऐसे पूर्तिकारों को दण्डित किया जा सकता है जिसमें संबंधित फर्म को इस मंत्रालय द्वारा काली सूची में डाला जाना भी शामिल है।

(xiii) इस मंत्रालय को संविदा अवधि के दौरान किसी भी समय बिना कोई कारण बताए संविदा को समाप्त करने का अधिकार होगा।

(xiv) चूँकि इस मंत्रालय की आवश्यकता तत्काल किस्म की होती है, यदि पूर्तिकार की सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं अथवा वह सामान की पूर्ति तत्काल करने में समर्थ नहीं है, तो यह कार्य चूककर्ता पूर्तिकार के जोखिम पर किसी अन्य फर्म/पार्टी को सौंप दिया जाएगा। पूर्तिकारों को मंत्रालय को इस बात के लिए संतुष्ट करना पड़ेगा कि आपूर्ति शीघ्रता से की जाएगी।

(xv) इस कार्य का उत्तरदायित्व लेने के लिए इच्छुक फर्म के लिए यह आवश्यक होगा कि वह इस कार्य के लिए अपनी क्षमता साबित करें और अपने किसी प्रतिष्ठित संगठन के पहले के ग्राहक से अपनी स्थिति और सुनाम (गुडविल) का प्रमाण-पत्र भी उस विभाग के अधिकारियों के नाम, पदनाम और टेलीफोन नम्बर का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करें। फर्म के पैन कार्ड की फोटोकॉपी भी प्रस्तुत की जानी चाहिए। फर्म के पैन कार्ड की फोटोकॉपी के बिना प्रस्तुत की गई कोटेशन सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी।

(xvi) बोलियों के साथ धरोहर राशि के रूप में वेतन और लेखा अधिकारी, मंत्रिमंडल कार्य, नई दिल्ली के पक्ष में रू.5,000/- (रूपये पांच हजार केवल) का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संलग्न किया जाना चाहिए, जिसे निष्पादन प्रतिभूति के रूप में इस मंत्रालय द्वारा उस समय तक अपने पास रखा जाएगा जब तक संविदा लागू रहती है।

(xvii) संविदा करने के पश्चात, पूर्तिकार को संविदा अवधि के दौरान किसी वस्तु के लिए किसी भी परिस्थिति में अपने मूल्य बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, यदि किसी मद की कीमत कम हो जाती है तो पूर्तिकार इसे मंत्रालय को बताएगा। जो विक्रेता संविदागत मूल्य पर किसी मद की आपूर्ति करने से मना करता है, उसके साथ भविष्य में कोई संविदा नहीं करने के अतिरिक्त इस मंत्रालय के विवेकानुसार दंडित किया जाएगा।

(xviii) कृपया अपनी बोली में इस बात के लिए विशेष उल्लेख करना सुनिश्चित करें कि ऊपर उल्लिखित निबंधन और शर्तें आपकी फर्म को पूरी तरह स्वीकार्य हैं।

(xix) इस मंत्रालय के पास किसी अथवा सभी कोटेशन (कोटेशनों) को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वीकार अथवा बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में इस मंत्रालय का निर्णय अंतिम और सभी पर बाध्यकारी होगा। इस मंत्रालय के लिए न्यूनतम कोटेशन को स्वीकार करना बाध्यकर नहीं होगा और किसी बोलीदाता की कोटेशन की अस्वीकृति के कारण के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाएगा।

(xx) बोलीदाताओं को बोलियों की प्राप्ति की अंतिम तारीख की समाप्ति के पश्चात अपनी बोलियों में परिवर्तन या आशोधन करने की अनुमति नहीं होगी।

यदि उपरोक्त निबंधन और शर्तें स्वीकार्य हैं तो कोटेशनों को एक मोहरबंद लिफाफे, जिसके ऊपर **'फोटोस्टेट पेपर की खरीद हेतु कोटेशन'** लिखा हो, में रखकर, देर से देर 16 मई, 2014 को अपराह्न 3.00 बजे तक अनुभाग अधिकारी (लेखा और क्रय), कमरा न. 93, संसद भवन (दूरभाष: 23034755) की अभिरक्षा में रखी टेंडर पेटी में जमा किया जा सकता है। उस समय तक प्राप्त कोटेशनों को विधिवत गठित क्रय समिति की उपस्थिति में 16 मई, 2014 को अपराह्न 3.30 बजे कमरा न. 92, संसद भवन, नई दिल्ली में खोला जाएगा।

भवदीय,

(ए. मनोहरन)
उप सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन : 23034746

<u>संसदीय कार्य मंत्रालय</u>

क्र.सं.	मद का नाम	दर प्रति मद/यूनिट (सीएसटी/ वैट के अतिरिक्त)	सीएसटी/वैट की दर	ब्रांड इत्यादि
1.	फोटोस्टेट पेपर रीम (मोदी जीरॉक्स) (ए-4 साइज) एम.एक्स. 75 जी.एस.एम.			
2.	फोटोस्टेट पेपर रीम (जे.के. पेपर)) (ए-4 साइज) एम.एक्स. 75 जी.एस.एम.			
3.	फोटोस्टेट पेपर रीम (जे.के. पेपर) (ए-3 साइज) एम.एक्स. 75 जी.एस.एम.			
4.	फोटोस्टेट पेपर रीम (जे.के. पेपर) (ए-5 साइज) एम.एक्स. 75 जी.एस.एम.			
5.	फोटोस्टेट पेपर रीम (मोदी जीरॉक्स) (एफ.एस./लीगल साइज) एम.एक्स. जी.एस.एम.			